FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

[illegible] बनाम तहसीलदार

मिसल मुकदमा 136 नम्बर 74/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/2024	प्रार्थना पत्र सीधा से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 24/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 8/5/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 29/5/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 19/6/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की तामील प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलिया के जवाब एवं जांच के लिए पत्रावली आगामी 12/8/24 को पेश हो।	

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

...त SDO मुकाम बिजौलिया

रामफूललाल बनाम TDR

...दमा 136 भू.रा.अधि. नं. 74/24 वर्ष

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...25	पत्रावली पेश हुई वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय बहस आगामी दिनांक 20/02/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
...25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी एवं परिवादी सरकार उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 74/2024 दायर तारीख 22.03.2024

अनवान

01 शम्भूलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवारी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थी।

पैरोकार सरकार ....एक पक्षीय कार्यवाही ।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 20.02.2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी भूलाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की र से निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि:–

01. ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियां में प्रार्थी के पिता की एक सामलाती कृषी भूमि खाता संख्या 187 खसरा संख्या 626/330,627/427,628/331 कुल खसरे 03 क्षेत्रफल 15.0543 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड के खाते में प्रार्थी का नाम कम संख्या 52 पर शंम्भूलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/72 जाति धाकड़ सा. इन्द्रपुरा खातेदार अंकन किया हुआ है। जो कि सेवन से प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल धाकड़ अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम भैरूलाल धाकड़ है। इसकी जानकारी प्रार्थी को जमाबन्दी की आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन जमाबन्दी देखने पर आया और स्वयं के लिए खाते की जमाबन्दी निकाली तब पता चला कि उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भैरूलाल की जगह भंवरलाल अंकन हो रहा है जो कि गलत दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त की तो त्रुटी की जानकारी हुई तभी से वाद कारण उत्पन्न होकर सतत् रूप से जारी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त त्रुटी के शुद्धिकरण बाबत् तहसीलदार बिजौलियां को मौखिक निवेदन किया तो तहसीलदार बिजौलियां द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में शुद्धिकरण करने में असमर्थता जाहिर की।

02. उक्त खाता संख्या 187 खसरा संख्या 626/330, 627/427, 628/331 कुल खसरे 03 क्षेत्रफल 15. 0534 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा कय की गई थी और कय करने के बाद स्वीकृत नामान्तरण में प्रार्थी का नाम शम्भूलाल पुत्र भंवरलाल धाकड़ सा.इन्द्रपुरा दर्ज रिकॉर्ड है एवं तभी से यह त्रुटी आज दिनांक तक चली आ रही है। जिसे दुरस्त कर खाता संख्या 187 ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढ़ा में खसरा संख्या 626/330, 627/427,628/331 में प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर भैरूलाल किया जाना उचित है।

अतः श्रीमान् से निवदेन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 187 ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढ़ा में खसरा संख्या 626/330, 627/427, 628/331, में प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर भैरूलाल किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला ...

प्रार्थना पत्र दस्तावेजों की जांच कर दिनांक 22.03.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी ...बी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल ... गया। विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां की और से पैरोकार ...र उपस्थित। तहसीलदार बिजौलियां का जवाब क्रमांक/राजस्व/2024/1225 प्राप्त हुआ जिसे शामिल ...ली किया गया। पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का शपथ ...साक्ष्यवादी के रूप मे पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के ... दस्तावेज के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, की स्वयं द्वारा ...णित प्रतिलीपि एवं ग्राम आंटी के खाता संख्या 187 की जमाबन्दी एवं ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलस्वां ...खाता संख्या 132 की जमाबन्दी पेश की जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा ...।

अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ...ा प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं तहसीलदार बिजौलिया के जवाब का अध्ययन किया गया । पेरोकार सरकार ...पव तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में उक्त प्रार्थना ... स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार ...किया जाता है। प्रार्थी का नाम ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढ़ा भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां जिला ...भीलवाड़ा के खाता संख्या 187 में अंकित खसरा नम्बर 626/330, 627/427, 628/331 की जमाबंन्दी मे ...क्रम संख्या 52 पर अंकित **शंभूलाल पुत्र भवरलाल के स्थान पर शंभूलाल पुत्र भैरूलाल** अंकित किया जावें। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां उक्त जमाबन्दी में भवरलाल के स्थान पर भैरूलाल दर्ज कर पालना रिकॉर्ड न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें। शेष जमाबंदी पूर्व के तरह यथावत् रहेगी।

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा